



Neutral Citation No. - 2026:AHC:20791-DB

दिनांक 12.1.2026 को आरक्षित

दिनांक 30.1.2026 को निर्णय सुनाया गया

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक अपील संख्या - 683 सन् 1995

राज किशोर उर्फ चौकीदार और अन्य

.....अपीलकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिवादी

अपीलकर्ता के अधिवक्ता : श्याम कृष्ण गुप्ता, वी.सी. तिवारी

प्रतिवादी के अधिवक्ता : सरकारी अधिवक्ता, जी.ए.

न्यायालय संख्या - 46

माननीय न्यायमूर्ति सिद्धार्थ

माननीय न्यायमूर्ति जय कृष्ण उपाध्याय

(माननीय न्यायमूर्ति सिद्धार्थ द्वारा निर्णय प्रदत्त)

1. हमने अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता श्री आर.सी. यादव और श्री श्याम कृष्ण गुप्ता, राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. प्रथम श्री जी.एन. कनौजिया को सुना और अभिलेख का परिशीलन किया।

2. आपराधिक विविध वापसी आवेदन संख्या 2/2025 पर आदेश

और आपराधिक विविध आवेदन संख्या 3/2025 पर आदेश

आपराधिक विविध आवेदन संख्या 4/2025 (जमानत) पर आदेश

और आपराधिक विविध आवेदन संख्या 5/2025 पर आदेश

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. चूंकि उपर्युक्त अपील पर अंतिम बहस हो चुकी है, इसलिए उपर्युक्त आवेदन निरर्थक होने के कारण खारिज किए जाते हैं।

अपील पर आदेश

4. यह आपराधिक अपील एस.टी. संख्या 10/1992 में जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बलिया द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 25.4.1995 के विरुद्ध दायर की गई है, जिसमें दोनों अपीलकर्ताओं को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के तहत दोषी ठहराया गया है और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।

5. अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि सूचनादाता पारस सिंह पुत्र छकौरिम सिंह है, जो मधुबनी थाना, बरिया, जिला बलिया का निवासी है। हरे राम सिंह (मृतक) उसके भतीजे (संजय सिंह) का बहनोई था, जो वन विभाग में काम करता था और सुरमनपुर रेलवे स्टेशन के पास रहता था। हरे राम सिंह (मृतक) सूचनादाता के घर पर भोजन किया करता था। दिनांक 12.11.1991 को, सूचनादाता के घर भोजन करने के बाद हरे राम सिंह वन विभाग में अपने कमरे के लिए रवाना हुआ। सूचनादाता, उसके साथ गांव के ही निवासी बर्मेश्वर सिंह और संजय सिंह भी उसके साथ गए। हरे राम सिंह के घर पहुँचकर वे सभी एक साथ बैठ कर बातें करने लगे। कमरे में लालटेन जल रही थी, तभी दारोगा दुशाद का बेटा, जिसका नाम सूचना देने वाले को नहीं पता था (राम किशोर), और सूअर चराने वाला संतोष, "दाव" (तेज धार वाले हथियार) से लैस होकर आए और हरे राम सिंह पर हमला कर दिया। सूचनादाता और उसके साथ मौजूद अन्य लोगों ने हस्तक्षेप किया, लेकिन तब तक दोनों आरोपी हरे राम सिंह पर हमला करने के बाद भाग गए थे। यह घटना रात 8:30 बजे घटी और हरे राम सिंह के चेहरे पर गंभीर चोटें आईं। सूचनादाता ने बरिया थाने में जितेंद्र कुमार द्वारा लिखित एक आवेदन दिया और घायल हरे राम सिंह को थाने ले गया, जहां धारा 307 भा.दं.सं. के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई और मुकदमा अपराध संख्या 275/1991 दर्ज किया गया।

6. थाने की मजरूबी चिट्ठी के आधार पर घायल को सुरमनपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहाँ से उसे बलिया जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया और अस्पताल जाते समय उसकी मृत्यु हो गई। उसके शव की जांच रिपोर्ट तैयार की गई और उसके बाद मृतक के शव का पोस्टमार्टम पी.डब्ल्यू. 4 द्वारा किया गया।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



7. जांच अधिकारी ने इस मामले की जांच की और धारा 302 के साथ धारा 34 भारतीय दंड संहिता के तहत आरोप पत्र प्रस्तुत किया तथा विचारण न्यायालय ने तदनुसार अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप तय किए। अभियुक्तों ने आरोपों से इनकार किया और मुकदमे की मांग की।

8. अभियोजन पक्ष के मामले को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष ने पी.डब्ल्यू. 1, पारस सिंह; पी.डब्ल्यू. 2, स्वामी नाथ सिंह; पी.डब्ल्यू. 3, डॉ. सी.पी. सिंह; पी.डब्ल्यू. 4, डॉ. मंगला सिंह; पी.डब्ल्यू. 5, कांस्टेबल स्वरथ यादव की जांच की और दस्तावेजी साक्ष्य साबित किए।

9. अभियुक्तों के बयान धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत दर्ज किए गए, जिसमें उन्होंने निर्दोष होने और इस मामले में झूठा फंसाए जाने का दावा किया। बचाव पक्ष ने कोई साक्ष्य पेश नहीं किया।

10. पी.डब्ल्यू. 1 ने विचारण न्यायालय के समक्ष दर्ज अपने बयान में कहा कि घटना वाले दिन मृतक हरे राम सिंह ने अपने घर पर खाना खाया था और वह संजय और परमेश्वर सिंह के साथ उसके घर गया था। वह शाम 7 बजे मृतक के कमरे में पहुँचा। मृतक ने मिट्टी का दीपक जलाया। वह हरे राम सिंह के कमरे में पलंग पर बैठा था, जिन्होंने उससे अपने घर वापस जाने को कहा क्योंकि वह अपने निवास स्थान पर पहुँच चुके थे। संतोष और राज किशोर, दोनों अपीलकर्ता, वहाँ खाली हाथ पहुँचे। उन्होंने हरे राम सिंह से *बीड़ी* जलाने के लिए माचिस की तीलियाँ माँगीं, जो उसने उन्हें दे दीं और कमरे से बाहर गया और देखा कि उसके घर के बाहर हथियार रखे हुए थे। उसने आरोपियों से पूछा कि वे हथियार क्यों लाए हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि वे गेहूँ की फसल काटने के लिए लाए हैं। हरे राम सिंह पेशाब करने के लिए पूर्वी दिशा में गया और आरोपियों ने उन पर हमला करना शुरू कर दिया। शोर सुनकर सूचनादाता और अन्य लोगों ने भी शोर मचाया। हरे राम सिंह वहीं पड़ा रहा और आरोपी दक्षिण-पश्चिम दिशा की ओर भाग गए। चीख-पुकार सुनकर चतुरधन सिंह, साधु और राम चंद्र दास आए और हरे राम सिंह के शव को पलंग पर रखकर सुरमनपुर पुलिस चौकी ले गए। बर्मेश्वर, संजय, चतुरधन और सूचनादाता शव को पलंग पर लेकर गए। पुलिस चौकी पर केवल एक कांस्टेबल मौजूद था और शव को टेम्पो में रखकर वे बैरिया थाने आए और जितेंद्र द्वारा लिखित आवेदन प्राप्त करने के बाद प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज कराई।

11. पी.डब्ल्यू. 1 ने आगे कहा कि जब हरे राम सिंह को थाने लाया गया था, तब वह केवल घायल था, जीवित था और बोल रहा था। थाने के इंस्पेक्टर ने उनका बयान दर्ज किया। डॉक्टर अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(पी.डब्ल्यू.3) ने हरे राम सिंह को रात 9.10 बजे बलिया के जिला अस्पताल में भर्ती कराया और अस्पताल पहुंचने के बाद रात करीब 1 बजे उसकी मृत्यु हो गई। अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम किया गया। पारस सिंह पंच गवाहों में से एक थे।

12. जिरह के दौरान पी.डब्ल्यू. 1 ने बताया कि उसकी उम्र 75 वर्ष है। मृतक शाम लगभग 6:30 बजे उसके घर खाना खाने आता था। वह साइकिल से आता और साइकिल से ही वापस जाता था। घटना वाले दिन उसने अपनी साइकिल घर पर ही छोड़ दी और पैदल ही घर गया। उस रात चांदनी थी और दिन “छठ” का था। उसने बर्मेश्वर और संजय से कहा कि वे उसके साथ चलें क्योंकि उसे लक्ष्मी अहीर के घर से दूध लाना है। पी.डब्ल्यू. 1 के घर से राम बालक दास के आश्रम की दूरी उत्तर दिशा में एक मील थी। मृतक का घर राम बालक दास के आश्रम के पास ही था। हरे राम सिंह की हत्या राम बालक दास के आश्रम से दो बीघा की दूरी पर हुई। घटनास्थल पर वन विभाग का घना जंगल और खाई है। मृतक खाई के पूर्वी किनारे पर गिरा था। उसने कहा कि वह यह कारण नहीं बता सकता कि उसने मृतक के कमरे में लालटेन जलने की बात का उल्लेख क्यों नहीं किया और न ही यह कि इंस्पेक्टर ने एफ.आई.आर. पर उसके हस्ताक्षर क्यों नहीं लिए। उन्होंने कहा कि उन्होंने रिपोर्ट में लालटेन जलने की बात इसलिए नहीं लिखी क्योंकि किसी ने उनसे पूछा ही नहीं था और न ही उन्होंने यह उल्लेख किया कि आरोपी ने मृतक से बीड़ी जलाने के लिए माचिस की तीली मांगी थी। वह यह भी नहीं बता पा रहे हैं कि उन्होंने एफ.आई.आर. में यह उल्लेख क्यों नहीं किया कि मृतक ने आरोपी द्वारा अपने कमरे के बाहर रखे हथियार देखे थे। उन्होंने आगे कहा कि आरोपी ने मृतक को बताया था कि वे गेहूं की फसल काटने के लिए हथियार लाए थे। हरे राम सिंह के पेशाब करने जाने के बाद आरोपी ने उन पर हमला किया, लेकिन वह यह नहीं बता पा रहे हैं कि इस तथ्य का उल्लेख एफ.आई.आर. में क्यों नहीं किया गया। उसने पुलिस को बताया कि घटना के बाद आरोपी दक्षिण-पश्चिम दिशा की ओर लापता हो गया। जिस पलंग पर मृतक को थाने लाया गया था, उस पर खून के निशान थे। जिस जगह मृतक पेशाब करने गया था और उस पर हमला हुआ था, वहां भी खून के निशान थे। उसने प्रथम सूचना रिपोर्ट में आरोपी राज किशोर का नाम नहीं बताया था और उसके बयान के बाद इंस्पेक्टर ने उसका नाम जोड़ा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



13. पी.डब्ल्यू. 2, स्वामी नाथ सिंह, घटना के प्रत्यक्षदर्शी नहीं हैं और उन्हें अपने भतीजे की हत्या की घटना की जानकारी मिलने के बाद वे उपस्थित हुए। वे जांच के गवाह थे और उन्होंने इसे साबित किया।

14. तीसरे गवाह, डॉ. सी.पी. सिंह ने बताया कि हरे राम सिंह को उनके पास तब लाया गया था जब वे सुरमनपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर के पद पर तैनात थे। प्राथमिक उपचार देने के बाद उन्होंने उसे सदर अस्पताल बलिया रेफर कर दिया। उन्होंने अपनी चिकित्सा जांच रिपोर्ट, प्रदर्शक-3, को प्रमाणित किया।

15. पी.डब्ल्यू. 4, डॉ. मंगल सिंह ने अपने साक्ष्य में कहा कि उन्होंने मृतक के शरीर पर निम्नलिखित पूर्व-मृत्यु चोटें पाईं:-

1. दाहिनी जबड़े की हड्डी के कोण तक 10 सेमी x 1.5 सेमी गहरा चीरा लगा हुआ है। दाहिनी ओर का चेहरा नाक के पुल से लेकर दाहिनी जबड़े की हड्डी तक फैला हुआ है। नाक पर भी चीरा लगा हुआ है;

2. दाहिने चेहरे पर स्थित 5 सेमी x 1.5 सेमी x हड्डी की गहराई का चीरा घाव (क्षैतिज रूप से) मध्य से दाहिने गाल की ओर शुरू होकर चोट संख्या 1 की पृष्ठीय सीमा पर समाप्त होता है।

3. चेहरे के ठुड्डी के नीचे के हिस्से के मध्य में स्थित 2.5 सेमी x 1.5 सेमी x हड्डी तक गहरा चीरा लगा हुआ घाव।

4. दाहिनी हंसली की हड्डी के मध्य भाग के एक तिहाई हिस्से पर स्थित 3 सेमी x 1.5 सेमी x हड्डी तक गहरा चीरा लगा हुआ घाव।

5. दाहिनी ओर गर्दन के पश्च त्रिकोण पर, हंसली की हड्डी के ठीक ऊपर, 5 सेमी x 3 सेमी x हड्डी तक गहरा चीरा लगा हुआ घाव।

6. दाहिनी ओर गर्दन के पश्च पार्श्व भाग में, चोट संख्या 5 से 2 सेमी ऊपर, 3 सेमी x 2 सेमी x हड्डी तक गहरा चीरा लगा हुआ घाव।

7. कलाई के जोड़ के दाहिनी ओर 4 सेमी x 1.5 सेमी x हड्डी तक गहरा चीरा लगा हुआ घाव।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



8. कलाई के जोड़ से 4 सेमी समीप बाएं अग्रबाहु के सामने की ओर 3 सेमी x 1.5 सेमी x का चीरा लगा हुआ घाव।

16. उसने आगे बताया कि उसने मृतक के कपड़े सील करने के बाद कांस्टेबल को सौंप दिए थे। मृतक के पेट में अधपचा भोजन पाया गया।

17. पी.डब्ल्यू. 5, कांस्टेबल स्वार्थ यादव ने गवाही दी कि वह हरे राम सिंह को थाने से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले गया था। डॉक्टर ने उसे इंजेक्शन दिया और उसकी हालत गंभीर देखकर उसे सदर अस्पताल, बलिया रेफर कर दिया। हरे राम सिंह को जीप में सदर अस्पताल, बलिया ले जाया गया और वहां पहुंचने पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। शव को मोर्चरी में रखवाकर वह वापस चला गया।

18 इस मामले के जांच अधिकारी सहित अभियोजन पक्ष की ओर से किसी अन्य गवाह से पूछताछ नहीं की गई।

19. अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि मृतक हरे राम सिंह की हत्या करने के लिए अपीलकर्ताओं को कोई मकसद नहीं बताया गया है; उन्हें दुश्मनी के कारण इस मामले में झूठा फंसाया गया है; अभियोजन पक्ष का यह दावा कि मृतक पी.डब्ल्यू. 1 के घर केवल भोजन करने जाता था, विश्वसनीय नहीं है क्योंकि मृतक पी.डब्ल्यू. 1 का दूर का रिश्तेदार था; पी.डब्ल्यू. 1 विश्वसनीय गवाह नहीं है और घटना स्थल पर उपस्थित नहीं था; घटना रात 8:30 बजे घटी और रिपोर्ट 12.11.1991 को रात 8:50 बजे दर्ज की गई, जो संभव नहीं है। चिक रिपोर्ट पर पी.डब्ल्यू. 1 के हस्ताक्षर नहीं थे; जांच रिपोर्ट में मामले का अपराध संख्या उल्लिखित नहीं था और पी.डब्ल्यू. 1 के बयान का कोई पुख्ता सबूत नहीं है।

20. विद्वान ए.जी.ए. ने अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्कों का विरोध किया है और कहा है कि इस मामले में पी.डब्ल्यू.1 भले ही एकमात्र गवाह है, लेकिन वह पूरी तरह से विश्वसनीय गवाह है। अभियोजन पक्ष के गवाह की एकमात्र विश्वसनीय गवाही के आधार पर दोषसिद्धि की जा सकती है और इसके समर्थन की आवश्यकता नहीं है। समय और घटनाक्रम से स्पष्ट है कि प्रथम गवाह घटनास्थल पर मौजूद था और उसने घटना का विस्तृत विवरण दिया। प्रथम गवाह द्वारा अपने बयान में की गई मामूली चूकें उसकी 75 वर्ष की अधिक आयु और ग्रामीण पृष्ठभूमि के कारण हैं। अभियोजन पक्ष ने अपने मामले को संदेह से

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

परे साबित कर दिया है, इसलिए विचारण न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय और आदेश में न्यायालय द्वारा कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है।

21. प्रतिद्वंद्वी तर्कों को सुनने, विचारण न्यायालय के अभिलेख में मौजूद सामग्री और विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों का अध्ययन करने के बाद, हम पाते हैं कि यह लगभग 25 वर्ष के एक युवक की क्रूर हत्या का मामला है, जिसे अपीलकर्ताओं को सौंपे गए धारदार हथियारों से कई बार करके मारा गया था। अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि मृतक ने दुर्भाग्यपूर्ण दिन शाम लगभग 6-6:30 बजे अपने रिश्तेदार पी.डब्ल्यू.1 के घर पर भोजन किया और उसके बाद पी.डब्ल्यू.1 अपने सह-ग्रामीण संजय और बर्मेश्वर सिंह के साथ मृतक के क्वार्टर तक गए और लगभग 7 बजे वहां पहुंचे। पी.डब्ल्यू. 1 के घर से मृतक हरे राम सिंह के क्वार्टर की दूरी एक मील थी और पी.डब्ल्यू. 1, उसके साथी और मृतक द्वारा आधे घंटे में एक मील की दूरी तय करना असंभव नहीं था। अपीलकर्ताओं की ओर से यह तर्क कि पी.डब्ल्यू. 1 ने प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह नहीं बताया कि मृतक ने लालटेन जलाई थी, सही नहीं है। यह उल्लेख किया गया है कि जिस कमरे में मृतक, पी.डब्ल्यू.1, संजय और बर्मेश्वर सिंह बैठे थे, उस कमरे में लालटेन से रोशनी की जा रही थी। इसके अलावा, यह घटना खुले स्थान पर घटी जहां मृतक पेशाब करने गया था। पी.डब्ल्यू. 1 ने बताया कि यह 'छठ' की चांदनी रात थी और अपीलकर्ताओं ने मृतक पर तब हमला किया जब मृतक अपने कमरे के बाहर पूर्वी दिशा की ओर पेशाब करने गया था। पी.डब्ल्यू.1 ने अपीलकर्ताओं को मृतक के कमरे में आते हुए देखा था। उन्होंने बीड़ी जलाने के लिए माचिस की तीली की मांग की और जब हरे राम सिंह उन्हें माचिस की तीलियां देने के लिए बाहर गया तो उसने देखा कि अपीलकर्ताओं ने कमरे के बाहर हथियार रखे हुए हैं। जब उन्होंने उनसे हथियारों के बारे में पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि वे उन्हें गेहूं की फसल काटने के उद्देश्य से लाए हैं। इसलिए अपीलकर्ताओं की पहचान पर कोई संदेह नहीं था क्योंकि उन्हें घटना से पहले और घटना को अंजाम देने के समय, मृतक द्वारा शोर मचाने और मदद के लिए चिल्लाने के बाद, पी.डब्ल्यू.1 द्वारा देखा गया था। पी.डब्ल्यू.1 ने अपनी जिरह में कहा है कि घटना स्थल पर और उस टेम्पो में भी खून गिरा था, जिसमें मृतक को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया था, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि इस मामले के जांच अधिकारी ने जांच के दौरान अपने कर्तव्यों का ठीक से पालन नहीं किया और गवाह के

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



रूप में भी पेश नहीं हुए। जांच अधिकारी द्वारा की गई चूक का लाभ आरोपी को नहीं दिया जा सकता क्योंकि मामले के अन्य सहायक साक्ष्य मौजूद हैं।

22. विचारण न्यायालय ने सादिक और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 1981 आपराधिक कानून, जर्नल 372 के मामले में इस न्यायालय के पूर्ण पीठ के निर्णय पर अवलम्ब लिया है और यह माना है कि पुलिस जांच के जो दस्तावेज अभिलेख पर लाए गए थे, उन्हें बचाव पक्ष ने स्वीकार कर लिया था और इसलिए अभियोजन पक्ष का यह तर्क कि औपचारिक प्रमाण के अभाव में दस्तावेज साक्ष्य में स्वीकार्य नहीं थे, मान्य नहीं है, क्योंकि दस्तावेजों को धारा 294 (3) दं.प्र.सं. के अनुसार ठोस साक्ष्य माना जाएगा। इसलिए यह तर्क कि दर्ज की गई एफ.आई.आर. पर पी.डब्ल्यू.1 के हस्ताक्षर नहीं थे, मान्य नहीं होगा। वैसे भी एफ.आई.आर. को ठोस साक्ष्य नहीं माना जाता है। इसका उद्देश्य धारा 161 दं.प्र.सं. के तहत दर्ज किए गए बयानों के समान है।

23. यह तर्क कि घटना रात लगभग 8 बजे घटी थी और प्रथम सूचना रिपोर्ट 8.50 बजे दर्ज की गई थी, उस समय जांच कार्यवाही के दौरान प्रथम सूचना रिपोर्ट मौजूद नहीं थी, विश्वसनीय नहीं है। जांच रिपोर्ट में मामले के अपराध संख्या का कोई उल्लेख नहीं है। थाना घटना स्थल से लगभग 3 मील की दूरी पर था। 3 मील की दूरी एक घंटे में तय की जा सकती थी, इसलिए यह तर्क कि प्रथम सूचना रिपोर्ट रात 8:50 बजे दर्ज नहीं की जा सकती थी, जबकि घटना लगभग रात 8:00 बजे घटी थी, स्वीकार्य नहीं है।

24. उपरोक्त तथ्य की पुष्टि मृतक की प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में रात 9.10 बजे की गई चिकित्सा जांच के समय से भी होती है। यदि प्रथम सूचना रिपोर्ट रात 8:50 बजे तक दर्ज नहीं की गई थी, तो मृतक, जो उस समय जीवित था, की प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर द्वारा रात 9:10 बजे जांच कैसे की गई? विचारण न्यायालय ने जी.डी. प्रविष्टि संख्या 20 पर विचार किया है जो 12.11.1991 को 20.50 बजे दर्ज की गई थी, जिसमें यह दर्ज किया गया है कि पी.डब्ल्यू.1 घायल हरे राम सिंह को भरमेश्वर सिंह, महागी, कोहारी, संजय सिंह के साथ राज नारायण वर्मा द्वारा चलाए जा रहे टेम्पो नंबर बीपीआई 2451 पर थाने लेकर आए और उन्होंने थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के लिए आवेदन दिया।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



25. विचारण न्यायालय ने पुलिस के जांच अधिकारी द्वारा तैयार किए गए घटनास्थल के नक्शे पर विचार किया है, जो प्रदर्श क-6 था और जिसे बचाव पक्ष ने स्वीकार किया था। इसलिए इस स्तर पर बचाव पक्ष द्वारा घटना के तरीके और स्थान पर विवाद नहीं किया जा सकता है।

26. हमें यह भी पता चला कि मृतक के पेट में अधपचा हुआ भोजन मिलने से अभियोजन पक्ष का यह दावा सिद्ध होता है कि उसने पी.डब्ल्यू. 1 के घर पर भोजन किया और शाम लगभग 6:30 बजे अपने घर के लिए रवाना हुआ। मृतक की मृत्यु रात 9-10 बजे के कुछ समय बाद हुई, इसलिए पी.डब्ल्यू. 1 के घर पर भोजन करने और मृतक की मृत्यु के बीच लगभग ढाई घंटे का ही अंतराल बीता था और मृतक के पेट में अधपचा हुआ भोजन मिलना बिल्कुल सही था। रात करीब 8 बजे उस पर क्रूरता से हमला किया गया और खून बहना शुरू हो गया, जिसके चलते उनके पेट में पाचन क्रिया प्रभावित होना तय था और इसलिए भोजन उनके पेट में अधपचा हुआ ही रह गया। एफ.आई.आर. में अपीलकर्ता राज किशोर का नाम न होना अभियोजन पक्ष के मामले के लिए घातक नहीं हो सकता, क्योंकि प्रथम गवाह द्वारा दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट में उसके पिता का नाम उल्लेखित था। रक्त से सना हथियार "दाव" अपीलकर्ता रणजीत की सूचना पर बरामद किया गया था, इसलिए इस मामले में उसकी संलिप्तता और दोषसिद्धि को गलत नहीं ठहराया जा सकता।

27. हमने धारा 313 सीआरपीसी के तहत दर्ज अपीलकर्ताओं के बयान का भी अध्ययन किया है, जिसमें उन्होंने यह नहीं बताया है कि वे निर्दोष क्यों हैं और उन्हें इस मामले में झूठा फंसाया गया है। उन्होंने कहा है कि उन्हें इस मामले में दुश्मनी के कारण फंसाया गया है, लेकिन दुश्मनी की प्रकृति और कारण स्पष्ट नहीं किया गया है।

28. हमारे समक्ष चुनौती दी गई विचारण न्यायालय द्वारा अपने निर्णय और आदेश में दर्ज निष्कर्षों में हमें कोई त्रुटि नहीं मिली है, सिवाय इसके कि विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ताओं पर कोई जुर्माना नहीं लगाया है, जो धारा 302 भा.दं.सं. के तहत दोषसिद्धि का निर्देश दिए जाने पर अनिवार्य है।

29. परिणामस्वरूप, हमारे पास विचारण न्यायालय द्वारा निर्देशित अपीलकर्ताओं की दोषसिद्धि और सजा की पुष्टि करने और विचारण न्यायालय के निर्णय में इस हद तक संशोधन करते हुए अपीलकर्ताओं को सूचनादाता को 10,000 रुपये का जुर्माना अदा करने का निर्देश देने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



30. अपील में कोई मेरिट नहीं है और इसे खारिज किया जाता है।

31. अपीलकर्ता जमानत पर हैं, उनकी जमानत रद्द कर दी गई है और जमानतदारों को मुक्त कर दिया गया है। उन्हें तत्काल आत्मसमर्पण करने और शेष सजा काटने का निर्देश दिया जाता है।

32. कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि वह इस निर्णय की प्रति सहित विचारण न्यायालय का अभिलेख विचारण न्यायालय को लौटा दे।

(न्यायमूर्ति जय कृष्ण उपाध्याय) (न्यायमूर्ति सिद्धार्थ)

30 जनवरी 2026

अतुल कुमार श्री.